पत्रांकः 5५/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 03/2019/ 62 (अनु०)/ पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी सह
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/01/2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय "मुख्य शीर्ष–2015 निर्वाचन–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–निर्वाचन आयोग उपशीर्ष 0001 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0001.28.02 संविदा सेवाएँ मद में **कुल ₹15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रूपये) मात्र की राशि** वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम 4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019 एवं 6786 दिनांक 19.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. आवंटित की जा रही राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना** होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इसकी **मांग संख्या 16** एवं **विपत्र कोड संख्या 16 2015001010001** है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 03/2019/62(अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/01/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01 03/2019/62(अनु)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/01/2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)